

ले ज गुरमीत सिंह,
पीवीएसएम, यूवाईएसएम, एवीएसएम,
वीएसएम (से नि)
राज्यपाल एवं
कुलाधिपति, वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली
उत्तराखण्ड औद्यानिकी एवं वानिकी
विश्वविद्यालय, भरसार, पौड़ी गढ़वाल।



राज्यपाल सचिवालय
उत्तराखण्ड, देहरादून

संख्या— / जी०एस० / शिक्षा / C13-2(II) / 2022

देहरादून : दिनांक : 15 दिसम्बर, 2025

आदेश

वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली उत्तराखण्ड औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, भरसार के वर्तमान कुलपति डा० परविन्दर कौशल का कुलपति पद का तीन वर्ष का कार्यकाल दिनांक 15 दिसम्बर, 2025 को पूर्ण हो रहा है। नियमित कुलपति के चयन की प्रक्रिया शासन स्तर पर विचाराधीन है, जिसमें अभी समय लगने की सम्भावना है।

एतद्वारा, उपरोक्त स्थिति के दृष्टिगत उ०प्र० कृषि एवं प्रौ० विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा-11 की उपधारा-(6) में निहित अन्तरिम व्यवस्था के अन्तर्गत वर्तमान कुलपति डा० परविन्दर कौशल को दिनांक 16 दिसम्बर, 2025 से छः माह अथवा नियमित कुलपति की नियुक्ति होने तक, जो भी पहले हो, तक के लिए वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली उत्तराखण्ड औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, भरसार, पौड़ी गढ़वाल का कुलपति नियुक्त किया जाता है।

ह०/-

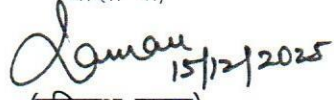
ले ज गुरमीत सिंह
कुलाधिपति।

संख्या : 26934 (1) / जी०एस०(शिक्षा) / C13-2(II) / 2022, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. सचिव, कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. डा० परविन्दर कौशल, कुलपति-वी०च०सि०ग० उत्तराखण्ड औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, भरसार, पौड़ी गढ़वाल।
5. कुलसचिव, वी०च०सि०ग० उत्तराखण्ड औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, भरसार, पौड़ी गढ़वाल।

✓ 6. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ / गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रविनाथ रामन)
कुलाधिपति के सचिव।